इंटीग्रेटेड राज ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के प्रभावी क्रियान्वयन बाबत निर्देश - 5

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.4(78) पराविं/पीसी/एमआईएस/2015–16/ 1056 जयपुर,दिनांक 2/5/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् समस्त

विषय :– इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर बाबत निर्देश – 5
संदर्भ :– विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 881 दि. 13.4.17

महोदय,

इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संदर्भित पत्र के बिन्दू संख्या 1 द्वारा यह आदेश जारी किये गये थे कि :–

प्रत्येक पंचायत समिति की 1 ग्राम पंचायत में इस सॉफ्टवेयर को तत्काल लागू किया जावे एवं उपरोक्त संदर्भित पत्रो में दिये गये आदेशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। चयनित पंचायतो में समस्त भुगतान ई–पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जावेगा।

उक्त आदेश की पालना में आप द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति की चयनित 1 ग्राम पंचायत को इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर में अपलॉड कर दिया गया है एवं चयनित पंचायत के नाम में कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।

आपसे अनुरोध है कि चयनित ग्राम पंचायतों, सभी पंचायत समितियों एंव जिला परिषदों में इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम ही कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियंता

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंराज।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
6. जिला कलक्टर, जिला समस्त
7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त
9. ए.सी.पी., पंचायती राज को बैवसाईट पर अपलोड हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता